अनुदान संख्या 59 – श्रम तथा रोजगार मंत्रालय
GRANT No. 59–MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*2,00*	. .	*–2,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	1890,28,00	2214,85,00	2169,18,80	–45,66,20
पूरक	Supplementary	324,57,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				20,06,97
पूंजीगत:	**Capital:**				
मूल	Original	6,97,00	756,98,00	758,77,64	+1,79,64
पूरक	Supplementary	750,01,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				65,55

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *2.00 लाख रु.* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष ''2230'' - ''श्रम तथा रोजगार'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (4566.20 लाख रु.) अगस्त, 2007, नवंबर, 2007 और मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 32457.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 14 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *Rs.2.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head “2230” – “Labour and Employment”.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.4566.20 lakhs) constituted 14 percent of the supplementary grant of Rs.32457.00 lakhs obtained in August, 2007, November, 2007 and March, 2008 and 2 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "2251" सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Major Head "2251" Secretariat - Social Services				
मू.	O.	1980.00	1767.20	1644.27	–122.93
पु.	R.	–212.80			
मुख्य शीर्ष "2230" श्रम तथा रोजगार	Major Head "2230" Labour and Employment				
मू.	O.	174430.00			
पू.	S.	15118.00	186575.99	184465.92	–2110.07
पु.	R.	–2972.01			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	3450.00			
पू.	S.	1.00	5.70	..	–5.70
पु.	R.	–3445.30			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	8825.00			
पू.	S.	16787.00	30429.28	30164.17	–265.11
पु.	R.	4817.28			
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्रा की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	551.00	386.00	343.01	–42.99
पु.	R.	–165.00			

(I) 4101.29 लाख रु. का प्रावधान चौदह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 3791.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2552'' -

(क) ''श्रम - बाल/महिला श्रमिकों के काम करने की स्थिति में सुधार - बाल श्रमिक कक्ष'' - 450.00 लाख रु.;

(ख) ''श्रम - शिक्षा - केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड को अनुदान'' - 140.00 लाख रु.; और

(ग) ''प्रशिक्षण अनुदान - शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण - अन्य स्कीमें'' - 2701.00 लाख रु. (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) थे।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - श्रम - श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा - असंगठित क्षेत्रा कामगार स्कीम के लिए सामाजिक सुरक्षा'' - 500.00 लाख रु. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना स्कीम को विलंब से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण थे।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2230'' - ''प्रशिक्षण - अन्य व्यय - केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाओं में सुधार तथा उन्नयन के लिए बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजना'' - 5.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 4705.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 4710.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने, संघ राज्य क्षेत्रा से प्रस्तावों

(I) Provision of Rs.4101.29 lakhs remained wholly unutilised under fourteen heads; of these Rs.3791.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552"-

(a) "Labour – Improvement in Working Condition of Child/Women Labour - Child Labour Cell" – Rs.450.00 lakhs;

(b) "Labour - Education – Grants to Central Board for Worker's Education" – Rs.140.00 lakhs; and

(c) "Training Grants – Training of Craftsmen and Supervisors – Other Schemes" – Rs.2701.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh).

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Labour - Social Security for Labour – Social Security for Unorganised sector workers Scheme" – Rs.500.00 lakhs - due to late approval of Rashtriya Swasthya Bima Yojana Scheme.

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2230" – "Training – Other Expenditure – Externally Aided Project for Reforms and Improvement in Vocational Training Services rendered by Central and State Governments"- the original provision of Rs.5.00 lakhs was augmented to Rs.4710.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.4705.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.3362.08 lakhs – due to non-filling up of

के प्राप्त न होने और संघ राज्य क्षेत्रा लक्षद्वीप से पुनरीक्षित संस्थागत विकास योजना के प्राप्त न होने के कारण 3362.08 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - प्रशिक्षण - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान - केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाओं में सुधार तथा उन्नयन के लिए बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजना'' - पूरक अनुदान प्राप्त करके 550.00 लाख रु. की निधियां उपलब्ध कराई गई थीं तथापि, पूर्ण प्रस्तावों के कम संख्या में प्राप्त होने के कारण 236.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(III) मुख्य शीर्ष ''2251'' - ''सचिवालय - श्रम मंत्रालय'' के अंतर्गत 335.73 लाख रु. की बचत (1980.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कारों का आयोजन न किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2230'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''श्रम'' -

(क) ''औद्योगिक संबंध'' -

(i) ''अन्य मदें'' - 131.47 लाख रु. की बचत (377.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, कम चिकित्सा बिलों के प्राप्त होने, कार्यालय मदों की अधिप्राप्ति के प्रस्तावों के मूर्तरूप न लेने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ii) ''मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्र) तथा क्षेत्रीय श्रम आयुक्त'' - 523.59 लाख रु. की बचत (2429.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(ख) ''कार्य की स्थितियां और सुरक्षा - अनुसंधान तथा प्रशिक्षण'' - 118.36 लाख रु. की बचत (765.90 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त

vacant posts, non-receipt of proposals from Union Territory and non-receipt of revised Institutional Development Plan from Union Territory of Lakshadweep.

(B) Major Head "3602" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Training – Industrial Training Institute – Externally Aided Project for Reforms and Improvement in Vocational Training Services rendered by Central and State Governments" – funds of Rs.550.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of Rs.236.00 lakhs – due to receipt of less number of complete proposals.

(III) Under Major Head "2251" – "Secretariat – Ministry of Labour" – saving of Rs.335.73 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1980.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-holding of Prime Minister's Shram Awards.

(IV) Under Major Head "2230" –savings occurred under the following heads:-

(A) "Labour" –

(a) "Industrial Relations" –

(i) "Other Items" – saving of Rs.131.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.377.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical bills, non-materialisation of proposals for procurement of office items and economy measures.

(ii) "Chief Labour Commissioners (Central) and Regional Labour Commissioners" – saving of Rs.523.59 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 2429.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(b) "Working Conditions and Safety – Research and Training" – saving of Rs.118.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.765.90 lakhs) was due to

पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि - स्वास्थ्य'' - 162.86 लाख रु. की बचत (639.10 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और कम बैठकों का आयोजन किए जाने के कारण हुई।

(घ) ''बीड़ी कामगार कल्याण निधि - स्वास्थ्य'' - 501.40 लाख रु. की बचत (4019.54 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य शुरू न किए जाने के कारण हुई।

(ङ) ''बाल/महिला श्रमिकों के काम की स्थिति में सुधार - बाल श्रमिक कक्ष'' - 1464.38 लाख रु. की बचत (17055.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जिला कार्यान्वयन अभिकरणों से अपेक्षित दस्तावेजों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(च) ''आरक्षित निधि/जमा खातों को अंतरण - बीड़ी कामगार कल्याण निधि को अंतरण'' - 4715.86 लाख रु. की बचत (23000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्मित बीड़ियों पर कम उपकर का संग्रहण किए जाने के कारण हुई।

(छ) ''अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन को भारत का अंशदान'' - 190.54 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनिमय दर में घट-बढ़ होने के कारण हुई।

(खा) ''रोजगार - निदेशन तथा प्रशासन - रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशक'' - 163.81 लाख रु. की बचत (1213.41 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, पूर्वोत्तर क्षेत्रा प्रकोष्ठ को बंद किए जाने और नगर निगम के प्राधिकारियों से दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(गा) ''प्रशिक्षण - शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों के लिए

non-filling up of vacant posts and economy measures.

(c) "Iron Ore Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund – Health" – saving of Rs.162.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.639.10 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and holding of less meetings.

(d) "Beedi Workers Welfare Fund – Health" – saving of Rs.501.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4019.54 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-commencement of works by Central Public Works Department.

(e) "Improvement in Working Condition of Child/Women Labour – Child Labour Cell" – saving of Rs.1464.38 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.17055.00 lakhs) was due to non-receipt of requisite documents from the districts implementing agencies.

(f) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Accounts – Transfer to Beedi Workers Welfare Fund" – saving of Rs.4715.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.23000.00 lakhs) was due to collection of less cess on manufactured Beedies.

(g) "International Co-operation – India's Contribution to the I.L.O." – saving of Rs.190.54 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 800.00 lakhs) was due to exchange rate variations.

(B) "Employment – Direction and Administration – Directorate General of Employment and Training" – saving of Rs.163.81 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1213.41 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, closing of North Eastern States cell and non-receipt of claims from Municipal Authorities.

(C) "Training - Training of Craftsmen and Supervisors" –

प्रशिक्षण'' -

(क) ''शिल्प प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण'' - 136.14 लाख रु. की बचत (1758.07 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में चिकित्सा बिलों के प्राप्त होने, नगर निगम के प्राधिकारियों से दावे प्राप्त न होने, छात्रावृत्ति और वजीफों के लिए उम्मीदवारों के कम संख्या में होने और मोटर वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''अति कुशल शिल्पकारों तथा पर्यविक्षकों के लिए प्रशिक्षण'' - 177.02 लाख रु. की बचत (1218.63 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और उपस्करों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान - श्रम - बीड़ी कामकार कल्याण निधि - बीड़ी कामगारों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास स्कीम'' के अंतर्गत 532.00 लाख रु. की बचत (2400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से आर्थिक सहायता के दावे कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।

(VI) दस शीर्षों के अंतर्गत 698.55 लाख रु. की बचतें हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत से 66 प्रतिशत तक थीं।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (13311.60 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 31905.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2230'' - ''श्रम'' -

(क) ''बीड़ी कामगार कल्याण निधि'' -

(i) ''आवास'' - 338.41 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 316.94 लाख रु. था।

(ii) ''शिक्षा'' - 485.91 लाख रु.। तथापि, वास्तविक

(a) "Training of Crafts Instructors" – saving of Rs.136.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1758.07 lakhs) was due to receipt of less number of medical bills, non-receipt of claims from Municipal Authorities, less number of candidates for scholarship and stipends and less expenditure on repair of motor vehicles.

(b) "Training of Highly Skilled Craftsmen and Supervisors" – saving of Rs.177.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1218.63 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-receipt of equipments.

(V) Under Major Head "3601" – "Non-Plan Grants – Labour – Beedi Workers Welfare Fund – Housing Scheme for Economically Weaker Section of Beedi Workers" – saving of Rs.532.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2400.00 lakhs) was due to receipt of less number of claims of subsidy from the State Governments.

(VI) Under ten heads savings of Rs.698.55 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 12 percent to 66 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly (Rs.13311.60 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.31905.00 lakhs and vide Annexure to the Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(A) Major Head "2230" – "Labour" –

(a) "Beedi Workers Welfare Fund" –

(i) "Housing" – Rs.338.41 lakhs. Actual excess, however, was Rs.316.94 lakhs.

(ii) "Education" Rs.485.91 lakhs. Actual excess, however, was Rs.483.48 lakhs.

अधिक व्यय 483.48 लाख रु. था।

(ख) ''श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा - कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995'' - 6138.00 लाख रु.।

(ग) ''आरक्षित निधि/जमा खातों को अंतरण'' -

(i) ''लौह, मैंगनीज क्रोम अयस्क निधि को अंतरण'' - 250.00 लाख रु.।

(ii) ''चूना पत्थर और डोलोमाइट खान निधि को अंतरण'' - 250.00 लाख रु.।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों को अनुदान - प्रशिक्षण अनुदान - शिल्पकारों तथा पर्यविक्षकों को प्रशिक्षण - अन्य स्कीमें'' - 5849.28 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 5655.46 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''2230'' - ''श्रम - श्रमिक शिक्षा - केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड को अनुदान'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 140.00 लाख रु. का अधिक व्यय (3211.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत 176.02 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 40 प्रतिशत था। इसमें एक ऐसा शीर्ष शामिल था जहां संपूर्ण व्यय निधियों के पुनर्विनियोग द्वारा पूरा किया गया।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, यद्यपि नवंबर, 2007 और मार्च, 2008 में 75001.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त किया गया था, व्यय स्वीकृत प्रावधान से 179.64 लाख रु. अधिक हो गया (वास्तविक अधिक व्यय 1,79,64,968/- रु. था)। **अधिक व्यय को संसद से अनुदान की अधिक मांगों को स्वीकृत करवाकर विनियमित करवाए जाने की आवश्यकता है।**

अधिक व्यय/बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के

(b) "Social Security for Labour – Employee's Pension Scheme, 1995" – Rs.6138.00 lakhs.

(c) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Accounts" –

(i) "Transfer to Iron, Manganese Crome Ore Fund" – Rs.250.00 lakhs.

(ii) "Transfer to Limestone and Dolomite Mines Fund" – Rs.250.00 lakhs.

(B) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Training Grants – Training of Craftsmen and Supervisors – Other Schemes" – Rs.5849.28 lakhs. Actual excess, however, was Rs.5655.46 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2230" – "Labour – Labour Education – Grants to Central Board for Worker's Education" – excess of Rs.140.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3211.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) Under two heads excess of Rs.176.02 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 40 percent of the sanctioned provision. These included one head where the entire expenditure was met by re-appropriation of funds.

4. In the capital section of the grant, although supplementary grants of Rs.75001.00 lakhs was obtained in November, 2007 and March, 2008 the expenditure exceeded the sanctioned provision by Rs.179.64 lakhs (actual excess was Rs.1,79,64,968/-). **The excess requires regularisation by Voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

Excess/savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''4250'' अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4250" Capital Outlay on Other Social Services				
मू.	O.	690.00			
पू.	S.	1.00	626.23	877.64	+251.41
पु.	R.	–64.77			
मुख्य शीर्ष ''6250'' अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज	Major Head "6250" Loans for Other Social Services				
पू.	S.	72500.00	75000.00	75000.00	. .
पु.	R.	2500.00			
मुख्य शीर्ष ''6552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए कर्ज	Major Head "6552" Loans for North Eastern Areas				
पू.	S.	2500.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–2500.00			

अंतर्गत हुआ/हुईं:-

(I) मुख्य शीर्ष ''4250'' - ''श्रम - अनुसंधान और सांख्यिकी'' के अंतर्गत 355.58 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 18.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चंडीगढ़ प्रशासन को भूमि की कीमत की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(II) मुख्य शीर्ष ''6250'' - ''अन्य - आईटीआई की संस्थान प्रबंधन समिति को कर्ज - सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 1396 शासकीय आईटीआई का उन्नयन'' के अंतर्गत 2500.00 लाख रु. का अधिक व्यय (72500.00

(I) Under Major Head "4250" – "Labour – Research and Statistics" – excess of Rs.355.58 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.18.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) was due to payment towards cost of land to Chandigarh Administration.

(II) Under Major Head "6250" – "Others – Loans to Institute Management Committee (IMC) of the ITIs – Upgradation of 1396 Govt. ITIs through Public Private Partnership" – excess of Rs.2500.00 lakhs (against the supplementary provision of Rs.72500.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "6552"

लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''6552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

5. उपर्युक्त अधिक व्यय निम्नलिखित बचतों द्वारा प्रतिसंतुलित हो गया:-

(I) 2508.30 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 2500.00 लाख रु. का पूरक प्रावधान अकेले मुख्य शीर्ष ''6552'' - ''उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को कर्ज - आईटीआई की संस्थान प्रबंधन समिति को कर्ज - सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 1396 शासकीय आईटीआई का उन्नयन'' के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण लेखाबद्ध किया गया।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 68.14 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 45 प्रतिशत थी।

6. ***अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि:-***

यह निधि अभ्रक खानों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण का संवर्धन करने के उपायों के वित्तपोषण के लिए गठित की गई थी। अभ्रक के निर्यात के लिए लगाए गए सीमा शुल्क को संग्रहण प्रभारों को घटाने के बाद निधि में जमा किया जाता है।

अथशेष

प्राप्तियां

अदायगियां

अंतशेष

वर्ष 2007-2008 के लिए निधि का खाता निम्न प्रकार था:-

7. ***लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि:-***

to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

5. The above excess was offset by savings as under:-

(I) Provision of Rs.2508.30 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these supplementary provision of Rs.2500.00 lakhs alone accounted for under Major Head "6552" – "Loans for North Eastern Area – Loans to Institute Management Committee (IMC) of the ITIs - Upgradation of 1396 Govt. ITI's through Public Private Partnership" – due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under one head saving of Rs.68.14 lakhs occurred constituting 45 percent of the sanctioned provision.

6. ***Mica Mines Labour Welfare Fund:-***

The Fund was constituted for financing measures for promotion of Welfare of Labour employed in Mica Mines. Custom duties levied on export of Mica are credited to the Fund after deducting collection charges.

The Account of the Fund for 2007-2008 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

Opening Balance	3,69,31
Receipts	3,50,58
Payments	1,21,55
Closing Balance	5,98,34

7. ***Iron Ore, Manganese Ore and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund:-***

The Fund was originally constituted under the Iron Ore Mines Labour and Welfare Cess Act, 1961 to help the State Governments and the

यह निधि मूल रूप से लौह अयस्क खान श्रमिक और कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 के अधीन राज्य सरकारों और खान प्रबंधकों की सहायता करने के लिए लौह अयस्क खनिजकों की जीवन-यापन स्थितियों को सुधारने के लिए गठित की गई थी। इस अधिनियम को लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976 जो 1 सितम्बर, 1978 से प्रवृत्त है, द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रमिक कल्याण संगठन इस निधि में से श्रमिकों और उनके आश्रितों को सुविधाएं प्रदान करता है। इस निधि का वित्तपोषण उपकर लगाकर किया जाता है।

Mines Management to improve the living conditions of the Iron Ore Miners. This Act has been replaced by Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund Act, 1976 which came into force with effect from 1st September, 1978. The Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Organisation provides for Welfare amenities out of this fund to the workers and their dependents. This Fund is financed by the levy of cess.

The Account of the Fund for 2007-2008 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	139,16,08
प्राप्तियां	Receipts	21,51,72
अदायगियां	Payments	8,99,75
अंतशेष	Closing Balance	151,68,05

वर्ष 2007-2008 के लिए निधि का खाता निम्न प्रकार था:-

8. *बीड़ी कामगार कल्याण निधि:-*

यह निधि बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के अधीन बीड़ी विनिर्माण में लगे व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों के लिए कल्याणकारी क्रियाकलापों का वित्तपोषण करने के लिए गठित की गई थी। बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 के अधीन बीड़ियों के विनिर्माण के संबंध में किसी भी प्रयोजन के लिए भांडागारों से किसी व्यक्ति को दिए गए तम्बाकू पर उपकर लगाकर निधि को वित्त पोषित किया जाता था। इस उपकर को वित्त अधिनियम, 1979 के अधीन मार्च, 1979 से हटा दिया गया था परन्तु बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन अधिनियम, 1981) के अंतर्गत इसे 1 जनवरी, 1982 से फिर से लगा दिया गया है।

8. *Beedi Workers Welfare Fund:-*

The Fund was constituted under the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 for financing welfare activities of persons and their dependents engaged in Beedi manufacturing. The fund was financed by the levy of cess collected under Beedi Workers Cess Act, 1976 on tobacco issued to the persons from warehouses for any purpose in connection with manufacture of Beedi. This cess was abolished with effect from March, 1979 under the Finance Act, 1979 but was levied again with effect from 1st January, 1982 under the Beedi Workers Welfare Cess (Amendment Act, 1981).

The Account of the Fund for 2007-2008 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	23,75,25
प्राप्तियां	Receipts	184,62,10
अदायगियां	Payments	232,93,79
अंतशेष	Closing Balance	–24,56,44

वर्ष 2007-2008 के लिए निधि का खाता निम्न प्रकार था:-

*9. **चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि:-***

यह निधि चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1972 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन गठित की गई थी, जिसमें बेचे गए या किसी कारखाने के दखलकार को अन्य रूप से दिए गए किसी खान में उत्पादित चूना पत्थर और डोलोमाइट पर उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण की व्यवस्था है जोकि खान मालिक द्वारा स्वयं अपनी फैक्टरी में किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है। संग्रहित उपकर को चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण का संवर्धन करने संबंधी क्रियाकलापों का वित्तपोषण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है।

वर्ष 2007-2008 के लिए निधि का खाता निम्न प्रकार था:-

*9. **Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund:-***

The Fund was constituted under the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972 and rules framed thereunder, which provides for levy and collection of Cess on Limestone and Dolomite produced in any mines, sold or otherwise disposed off, to the occupier of any factory or used by mine owner himself in his own factory for any purpose. The cess collected is utilised for financing of activities to promote the welfare of persons employed in Limestone and Dolomite Mines.

The Account of the Fund for 2007-2008 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	53,64,22
प्राप्तियां	Receipts	22,55,77
अदायगियां	Payments	8,24,18
अंतशेष	Closing Balance	67,95,81

*10. **सिनेमा कामगार कल्याण निधि:-***

यह निधि सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन गठित

*10. **Cine Workers Welfare Fund:-***

The Fund was constituted under the Cine Workers Welfare Fund Act, 1981 and rules framed thereunder, which provides for levying and collection of Cess. Cess collected is utilised for the welfare measures of Cine Workers.

की गई थी, जिसमें उपकर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण की व्यवस्था की गई है। संग्रहित उपकर का उपयोग सिनेमा कामगारों के कल्याणकारी उपायों के लिए किया जाता है।

वर्ष 2007-2008 के लिए निधि का खाता निम्न प्रकार था:-

The Account of the Fund for 2007-2008 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	1,70,72
प्राप्तियां	Receipts	1,35,02
अदायगियां	Payments	96,77
अंतशेष	Closing Balance	2,08,97